

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 अप्रैल 2017 — चैत्र 27, शक 1939

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2017

क्र. एफ-15-15-2006-दस-2.—राज्य शासन एतद्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अधिसूचना की दिनांक से 3 वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड का पुनर्गठन निम्नानुसार करता हैः—

1. माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2. माननीय वनमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3. माननीय राज्य वनमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	सदस्य
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग	सदस्य
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल	सदस्य
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम,	सदस्य
9. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, टाइगर सेल	सदस्य
10. सेना का एक प्रतिनिधि जो बिग्रेडियर से कम स्तर का अधिकारी न हो (भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा.)	सदस्य
11. संचालक, पशुपालन विभाग, भोपाल	सदस्य
12. संचालक, मछली पालन, विभाग, भोपाल	सदस्य

13. संचालक, वन्यप्राणी भारत सरकार या उसके प्रतिनिधि	सदस्य
14. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के प्रतिनिधि	सदस्य
15. बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि	सदस्य
16. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि	सदस्य

माननीय विधायक गण

17. श्री पंडित सिंह धुर्वें, विधायक बिछिया, मण्डला	सदस्य
18. श्री कमल मस्कोले, विधायक, बरघाट, सिवनी	सदस्य
19. श्री विजयपाल सिंह, विधायक, सोहागपुर, होशंगाबाद	सदस्य

वन्यप्राणियों से संबंधित अशासकीय संस्था

20. विश्व प्रकृति निधि का प्रतिनिधि	सदस्य
21. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट मुम्बई का प्रतिनिधि	सदस्य
22. बॉम्बे नेच्युरल हिस्ट्री सोसायटी का प्रतिनिधि	सदस्य

पर्यावरण विद्/संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ

23. डॉ. सुरेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, वन्यप्राणी में विशेष रूचि	सदस्य
24. श्री अभिलाष खाण्डेकर, वरिष्ठ पत्रकार, वन्यप्राणी में विशेष रूचि	सदस्य
25. श्री कमल एम. मुरारका, चेयरमैन, सरिस्का फाउंडेशन	सदस्य
26. श्री मंदार महाजन, वन्यप्राणी में विशेष रूचि	सदस्य
27. डॉ. एम. के. रणनीति सिंह, वन्यप्राणी विशेषज्ञ	सदस्य
28. डॉ. एच. एस. पाबला, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्यवन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश	सदस्य
29. श्री धर्मेन्द्र शुक्ला, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश	सदस्य
30. डॉ. सुहास कुमार सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश	सदस्य
31. श्रीमती शशि ठाकुर (मरावी) भूतपूर्व विधायक	सदस्य
32. श्रीमती सम्पत्तिया उडके, जिला पंचायत अध्यक्ष, मण्डला	सदस्य
33. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश	सदस्य सचिव.

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6(3) के अनुसार बोर्ड के सदस्य (पदेन सदस्यों के सिवाय) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में उपगत खर्चों की बाबत् ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.